फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 18.04.2026

थाना मऊदरवाजा पर लोक सेवक को गुमराह करके मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुये लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर लोक सेवक को गुमराह करके मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुये लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मु0अ0स0 146/2026 धारा 212(a) /217/248(a) बीएनएस बनाम श्यामजी वर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश वर्मा निवासी महादेव प्रसाद स्ट्रीट निकट तिकोना सब्जी मण्डी कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ में नामजद अभियुक्त श्याम वर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः

01. श्यामजी वर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश वर्मा निवासी महादेव प्रसाद स्ट्रीट निकट तिकोना सब्जी मण्डी थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 17.04.2026 को थाना मऊदरवाजा पर शिकायतकर्ता श्यामजी वर्मा उपरोक्त ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि स्विफ्ट डिजायर कार सं0 MP07ZR9849 पर सवार अज्ञात लोगों द्वारा आवेदक से लगभग 20 ग्राम सोना झपट्टा मारकर छीन लिया गया है । उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गयी तो पाया गया कि श्यामजी उपरोक्त के द्वारा अपने विरोधी को क्षति करने के आशय से झपटमारी का मिथ्या आरोप लगाकर इस आशय से मिथ्या प्रार्थना पत्र दिया गया कि लोक सेवक अपनी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग विपक्षी को क्षति कारित करने के लिये प्रयोग करें। जाँच निष्कर्ष के आधार व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह ने तहरीर देकर दिनांक 17.04.2026 को ही थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 146/2026 धारा 212(a)/217/248(a) बीएनएस बनाम श्यामजी वर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश वर्मा निवासी महादेव प्रसाद स्ट्रीट निकट तिकोना सब्जी मण्डी थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्त श्यामजी उपरोक्त को शान्ति भंग में गिरफ्तारी करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त श्यामजी उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त श्यामजी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 146/2026 धारा 212(a)/217/248(a) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

01. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह
02. व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह
03. उ0नि0 श्री राहुल कुमार
04. का0 सुमित कुमार
05. का0 अभिषेक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।